भारत के वन संसाधन एवं नीतियाँ

1. अभिलिखित वन क्षेत्र एवं वन आवरण (Recorded Forest Area and Forest Cover)

अभिलिखित वन क्षेत्र

- वन क्षेत्र या अभिलेखित वन क्षेत्र आम तौर पर सरकारी अभिलेखों में वन के रूप में दर्ज सभी भौगोलिक क्षेत्रों को संदर्भित करता है।
- इसमें बड़े पैमाने पर आरक्षित वन (RF) और संरक्षित वन (PF) शामिल हैं, जिनका गठन भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के तहत किया गया है।
- इसमें ऐसे सभी क्षेत्र भी शामिल हो सकते हैं, जो राजस्व अभिलेखों में वनों के रूप में दर्ज हैं या किसी राज्य अधिनियम या स्थानीय कानूनों के तहत गठित किए गए हैं।

वन आवरण

- यह एक हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाली सभी भूमियों को संदर्भित करता है, जिनमें वृक्ष छत्र घनत्व 10% से अधिक है।

वृक्ष आवरण

- अभिलिखित वन क्षेत्र के बाहर के सभी वृक्ष क्षेत्र जो 1 हेक्टेयर से कम आकार के हैं और इनमें बिखरे हुए वृक्ष क्षेत्र भी शामिल हैं।

वन आवरण मूल्यांकन में अन्य क्षेत्र

- 'वन क्षेत्र' सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार भूमि की कानूनी स्थिति को दर्शाता है, जबकि 'वन आवरण' किसी भी भूमि पर पेड़ों की उपस्थिति को दर्शाता है।
- माना की अधिकांश अभिलिखित वन क्षेत्रों में वनस्पति आवरण है, फिर भी इसके भीतर 10% से कम घनत्व वाले रिक्त स्थान और क्षेत्र हो सकते हैं या इसमें ऐसे क्षेत्र भी हो सकते हैं जहाँ कोई वृक्ष नहीं है। उदाहरण के लिए: आर्द्रभूमि, मैंग्रोव में खाड़ियाँ, शोला के घास के मैदान आदि।
- दूसरी तरफ, अभिलेखित वनों के बाहर भी ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जहां एक हेक्टेयर या उससे अधिक के वृक्ष खंड मौजूद हैं और छत्र घनत्व 10% से अधिक है। उदाहरणों में सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण, नीलगिरी, रबर, चाय और कॉफी के बागान आदि शामिल हैं।
- ऐसे क्षेत्र भी वन आवरण का गठन करते हैं और भारतीय वन सर्वेक्षण (Forest Survey of India-FSI) के वन आवरण मूल्यांकन में शामिल हैं।

वन आवरण वर्गीकरण

वर्ग	विवरण
अति सघन वन (Very Dense Forest-VDF)	70% और उससे अधिक वृक्ष छत्र घनत्व वाली सभी भूमि।
मध्यम सघन वन (Moderately Dense Forest-MDF)	40% और अधिक लेकिन 70% से कम वृक्ष छत्र घनत्व वाली सभी भूमि।
खुले वन (Open Forest-OF)	10% और अधिक लेकिन 40% से कम वृक्ष छत्र घनत्व वाली सभी भूमि।
झाड़ी (Scrub)	10% से कम छत्र घनत्व वाली निम्नीकृत वन भूमि।
गैर-वन (Non-forest)	वे भूमि जो उपरोक्त किसी भी वर्ग में शामिल नहीं हैं।

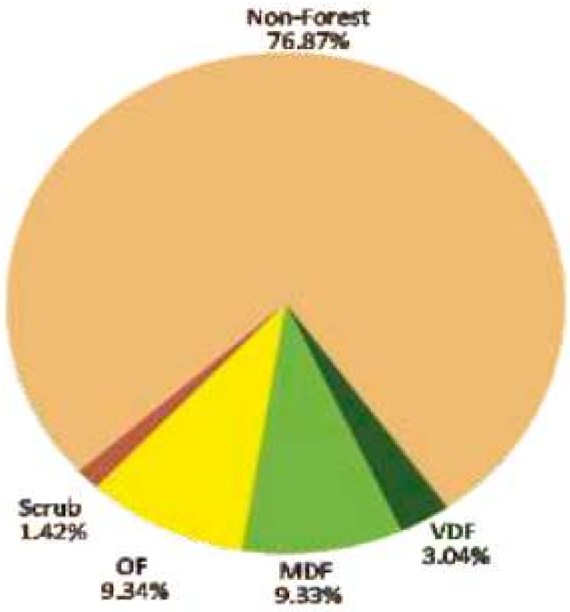

Figure.1. 2021 में भारत के वन क्षेत्र को दर्शाने वाला पाई चार्ट

2. भारत वन स्थिति रिपोर्ट (India State of Forest Report-ISFR) 2021

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने 13 जनवरी, 2022 को द्विवार्षिक भारत वन स्थिति रिपोर्ट (ISFR) 2021 जारी की।
- भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI), MoEFCC के तहत एक संगठन, पूरे देश के वन और वृक्ष आवरण का मानचित्रण करती है।

- वन आवरण मानचित्रण वर्ष 1987 में शुरू किया गया था और इसके बाद, वन आवरण मानचित्रण के 17 रिपोर्ट निकाले गए हैं।
- मूल्यांकन भारतीय रिमोट सेंसिंग उपग्रह डेटा (Resourcesat-II) द्वारा लीनियर इमेजिंग सेल्फ-स्कैनिंग सेंसर 3 (LISS-III) डेटा की व्याख्या पर आधारित था।
- अक्टूबर से दिसंबर 2019 की अवधि के लिए पूरे देश का उपग्रह डेटा राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (NRSC) से प्राप्त किया गया था।

2.1. ISFR 2021 की नई पहल और विशेषताएं

- भारत के टाइगर रिजर्व, कॉरिडोर और शेर संरक्षण क्षेत्र में वन आवरण के आकलन से संबंधित एक नया अध्याय शामिल किया गया है।
- सिंथेटिक एपर्चर रडार डेटा का उपयोग करके जमीन के ऊपर बायोमास अनुमान (ISRO के सहयोग से किया गया) और वन क्षेत्रों के जलवायु हॉटस्पॉट के अध्ययन (BITS पिलानी, गोवा परिसर के सहयोग से किया गया) नामक दो विशेष अध्ययनों के परिणाम भी इसमें प्रस्तुत किए गए हैं।
- राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने की दिशा में भारत की प्रगति को वन कार्बन मूल्यांकन पर अध्याय के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है।

2.2. ISFR-2021 से मुख्य निष्कर्ष

कुल वन एवं वृक्ष आवरण

- देश का कुल वन एवं वृक्ष आवरण 80.9 मिलियन हेक्टेयर है जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.62 प्रतिशत है।
- देश के कुल वन एवं वृक्ष आवरण में 2261 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है।
- वन आवरण में वृद्धि खुले वन के बाद अति सघन वन में देखी गई है।
- वन क्षेत्र में वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष पांच राज्य हैं:
  - आंध्र प्रदेश (647 वर्ग किमी) > तेलंगाना (632 वर्ग किमी) > ओडिशा (537 वर्ग किमी) > कर्नाटक (155 वर्ग किमी) > झारखंड (110 वर्ग किमी)।
- क्षेत्रफल की दृष्टि से, मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र हैं।
- कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के संदर्भ में, शीर्ष पांच राज्य हैं:
  - मिजोरम (84.53 प्रतिशत) > अरुणाचल प्रदेश (79.33 प्रतिशत) > मेघालय (76.00 प्रतिशत) > मणिपुर (74.34 प्रतिशत) > नागालैंड (73.90 प्रतिशत)।
- देश का वृक्ष आवरण 95,748 वर्ग किमी होने का अनुमान है जो भौगोलिक क्षेत्र का 2.91 प्रतिशत है।
- देश के वृक्ष आवरण में 721 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है।

वनों के बाहर के पेड़ (Trees Outside Forests-TOF)

- देश में लकड़ी का कुल बढ़ता भंडार 6167.50 मिलियन घन मीटर होने का अनुमान है।

    - जिसमें से 4388.15 मिलियन क्यूबिक मीटर वन क्षेत्रों के अंदर है और 1,779.35 मिलियन क्यूबिक मीटर रिकॉर्डेड वन क्षेत्रों (TOF) के बाहर है।

बाँस का भंडार

- बांस की कुल संख्या में 13,882 मिलियन की वृद्धि हुई है।
- राष्ट्रीय स्तर पर बांस की कलियों का कुल अनुमानित हरित भार 402 मिलियन टन है।

मैंग्रोव आवरण

- देश में कुल मैंग्रोव क्षेत्र 4992 वर्ग किमी है।
- मैंग्रोव आवरण में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है।
- मैंग्रोव आवरण में वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष तीन राज्य हैं:
    - ओडिशा (8 वर्ग किमी) > महाराष्ट्र (4 वर्ग किमी) > कर्नाटक (3 वर्ग किमी)।

कुल कार्बन स्टॉक

- देश के जंगलों में कुल कार्बन भंडार 7204 मिलियन टन होने का अनुमान है।
- 2019 के बाद से देश के कार्बन भंडार में 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है।

वन अग्नि प्रवण क्षेत्रों का मानचित्रण

- FSI 2004 से वनों में लगने वाली आग की निगरानी कर रहा है।
- कुल अग्नि प्रवण वन क्षेत्र, वनावरण का 35.47 प्रतिशत है।

52 टाइगर रिजर्व और शेर संरक्षण क्षेत्र में वन आवरण और दशकीय परिवर्तन

- 52 टाइगर रिजर्व में वन आवरण 55,666.27 वर्ग किमी है, जो देश के कुल वन आवरण का 7.80 प्रतिशत और टाइगर रिजर्व के कुल क्षेत्रफल का 74.51% है।
- टाइगर रिजर्व के क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के संदर्भ में, शीर्ष पांच टाइगर रिजर्व हैं:
- अरूणाचल प्रदेश में पक्के (96.83%) > मध्य प्रदेश में अचानकमार (95.63%) > ओडिशा में सिमलीपाल (94.17%) > कर्नाटक में काली (92.45%) > मिजोरम में डंपा (92.05%)।
- गिर वन्यजीव अभयारण्य (राष्ट्रीय उद्यान को छोड़कर) में 177.60 वर्ग किमी घास का मैदान है जबकि गिर राष्ट्रीय उद्यान में 33.58 वर्ग किमी घास का मैदान है, जो कुल मिलाकर 211.18 वर्ग किमी है।

भारतीय वनों में जलवायु परिवर्तन हॉटस्पॉट का मानचित्रण

- भारत में वन क्षेत्र पर जलवायु हॉटस्पॉट का मानचित्रण तीन भविष्य की समयावधियों के लिए किया गया है यानी वर्ष 2030 (अल्पकालिक जलवायु कार्रवाई क्षितिज), 2050 (दीर्घकालिक जलवायु कार्रवाई लक्ष्य) और 2085 (दीर्घकालिक समय क्षितिज)।
- लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सबसे ज्यादा तापमान बढ़ने का अनुमान है।
- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, गोवा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इन अवधियों में सबसे कम तापमान वृद्धि होने का अनुमान है।

- भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों और ऊपरी मालाबार तट पर वर्षा में सबसे अधिक वृद्धि का अनुमान लगाया गया है।

प्रमुख मेगा शहरों में वन आवरण का मानचित्रण

- सात प्रमुख शहरों में कुल वन क्षेत्र 509.72 वर्ग किमी है जो शहरों के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10.21% है।
- दिल्ली में सबसे बड़ा वन क्षेत्र (194.24 वर्ग किमी) है, इसके बाद मुंबई (110.77 वर्ग किमी) और बेंगलुरु (89.02 वर्ग किमी) हैं।
- हैदराबाद में वन आवरण में 48.65 वर्ग किमी की अधिकतम दशकीय वृद्धि देखी गई है।

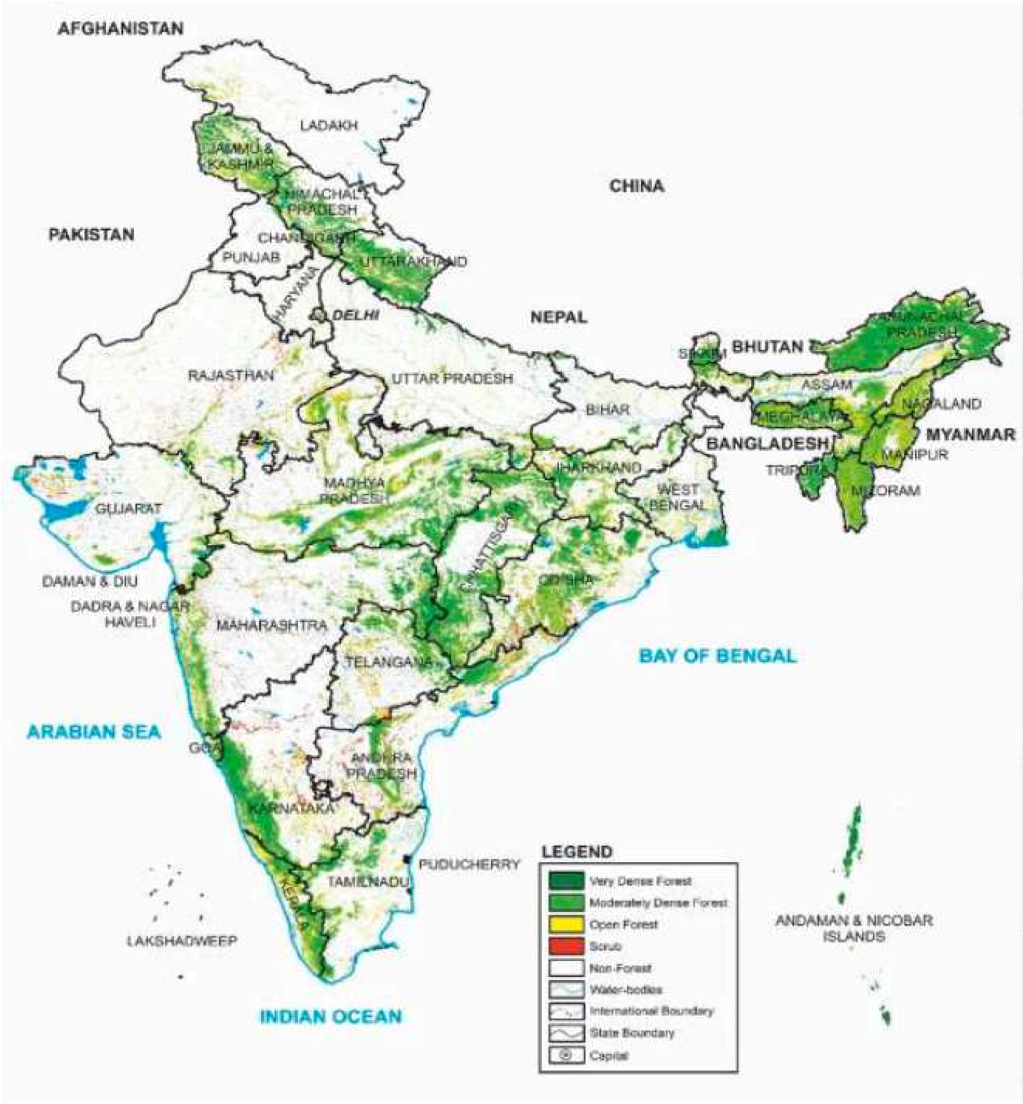

Figure.2. वन आवरण 2021

Table: 2021 में भारत का वन और वृक्ष आवरण

श्रेणी	क्षेत्रफल (वर्ग किमी)	भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत
	वन आवरण	
अति सघन वन	99,779	3.04
मध्यम सघन वन	3,06,890	9.33
खुले वन	3,07,120	9.34
कुल वन आवरण✷	7,13,789	21.71
वृक्ष आवरण	95,748	2.91
कुल वन एवं वृक्ष आवरण	8,09,537	24.62
झाड़ी	46,539	1.42
गैर-वन #	25,27,141	76.87
कुल भौगोलिक क्षेत्र	32,87,469	100.00
✷ मैंग्रोव कवर के अंतर्गत 4,992 वर्ग किमी शामिल है # गैर-वन में वृक्ष आवरण शामिल है (प्रतिशत पूर्णांकित)		

3. भारत की वन नीतियाँ

3.1. वन नीति 1894

1894 की वन नीति में निम्नलिखित निर्धारण शामिल थे:

- वनों के प्रबंधन का एकमात्र उद्देश्य देश की सामान्य भलाई को बढ़ावा देना है, और
- पर्याप्त वनों का रखरखाव मुख्य रूप से देश की जलवायु और भौतिक स्थितियों के संरक्षण के लिए और दूसरे, लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निर्धारित किया जाता है।

इन दिशानिर्देशों के अधीन, स्थायी खेती वानिकी से पहले आनी चाहिए।

3.2. वन नीति 1952

- 1952 में, एक नई राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई, जिसने 1894 की पिछली नीति में मौजूद कोणीयताओं को काफी हद तक दूर कर दिया।

- इस नीति में पहली बार देश के कम से कम 33 प्रतिशत भूमि क्षेत्र को वन क्षेत्र के अंतर्गत रखने पर जोर दिया गया।

वन नीति 1952 की प्रमुख विशेषताएँ

- स्थानीय और राष्ट्रीय जरूरतों को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भरता की एक मौलिक अवधारणा पेश की गई और विस्तार वानिकी की हिमायत की गई।
- इसमें निजी स्वामित्व में शेष सभी वनों पर नियंत्रण, स्थानांतरित खेती पर रोक और ग्राम वनों के निर्माण का प्रावधान किया गया।
- इसने वन संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, वाटरशेड प्रबंधन में वनों के योगदान और मिट्टी की उर्वरता और कृषि उत्पादकता में सुधार में उनकी भूमिका के महत्व को रेखांकित किया।
- हालाँकि, मुख्य जोर स्थायी लकड़ी उत्पादन पर रहा जिसके कारण असमान वनों के एक बड़े क्षेत्र को समान फसलों में परिवर्तित किया गया।
- रक्षा, संचार और उद्योग की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय वनों का प्रबंधन उत्तरोत्तर बढ़ी हुई निरंतर उपज के सिद्धांत के तहत किया जाना चाहिए।

3.3. राष्ट्रीय वन नीति (NFP) 1988

- 1988 की नीति में वनों के संरक्षण और लोगों की स्थानीय जरूरतों को पूरा करने और उनके संरक्षण और प्रबंधन में उनकी भागीदारी पर मुख्य जोर दिया गया है।
- इस नीति ने उन प्राथमिकताओं को फिर से परिभाषित किया है जिसमे औद्योगिक उपयोग के लिए वनों से कच्चे सामग्री के रूप में लकड़ी की आपूर्ति को प्राथमिकता दी जाती थी।
- यह नीति भारत के वन और वृक्ष आवरण को देश के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत तक विस्तारित करने का राष्ट्रीय उद्देश्य निर्धारित करती है।
    - वनों के इस विस्तार की परिकल्पना 'वनों के बाहर' और दर्ज 'वन भूमि' दोनों के भीतर बंजर भूमि (बंजर, अप्रयुक्त) के वनीकरण के माध्यम से की गई है।

राष्ट्रीय वन नीति 1988 के मूल उद्देश्य

- संरक्षण के माध्यम से पर्यावरणीय स्थिरता को बनाए रखना और, जहां आवश्यक हो, पारिस्थितिक संतुलन की बहाली।
- वनस्पतियों और जीवों की विशाल विविधता के साथ शेष प्राकृतिक वनों को संरक्षित करके देश की प्राकृतिक विरासत का संरक्षण करना।
- मिट्टी और जल संरक्षण के हित में, बाढ़ और सूखे को कम करने और जलाशयों में गाद जमाव को रोकने के लिए नदियों, झीलों, जलाशयों के जलग्रहण क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव और अनाच्छादन की जाँच करना।
- बड़े पैमाने पर वनीकरण और सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों के माध्यम से देश में वन/वृक्ष क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि करना।
- ग्रामीण और आदिवासी आबादी की ईंधन-लकड़ी, चारा, लघु वन उपज और छोटी लकड़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना।

- वन उपज के कुशल उपयोग को प्रोत्साहित करना और लकड़ी के प्रतिस्थापन को अधिकतम करना।
- इन उद्देश्यों को प्राप्त करने और मौजूदा जंगलों पर दबाव को कम करने के लिए महिलाओं की भागीदारी के साथ एक व्यापक जन आंदोलन बनाना।

NFP, 1988 के तहत वन प्रबंधन की अनिवार्यताएं

- पहाड़ी ढलानों, नदियों, झीलों, जलाशयों और समुद्र तटों के जलग्रहण क्षेत्रों और अर्ध-शुष्क और रेगिस्तानी इलाकों में वन और वनस्पति आवरण तेजी से बढ़ाया जाना चाहिए।
- अन्न उत्पादन में वृद्धि की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अच्छी और उत्पादक कृषि भूमि को वानिकी के लिए हस्तांतरित करने को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।
- सतत् सीमा से अधिक वनों के रिक्तीकरण को रोकने के लिए, विशेष रूप से वनों से सटे क्षेत्रों में पर्याप्ति चारे, ईंधन और चारागाह का प्रावधान आवश्यक है।
- ग्रामीण लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ईंधन की लकड़ी के उत्पादन को बढ़ाने पर विशेष जोर देते हुए वनीकरण कार्यक्रम को तेज किया जाना चाहिए।
- आदिवासी आबादी और अन्य समुदायों के रोजगार और आय के सृजन को ध्यान में रखते हुए लघु वन उपज की सुरक्षा, सुधार और उनके उत्पादन को बढ़ाया जाना चाहिए।

3.4. राष्ट्रीय वन नीति (NPF) का प्रारूप

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वर्ष 2018 में राष्ट्रीय वन नीति का प्रारूप जारी किया।
- राष्ट्रीय वन नीति (NPF) 2018 के प्रारूप का उद्देश्य वनों के संरक्षण, संरक्षण और प्रबंधन के साथ-साथ वन और वन प्रबंधन से जुड़े अन्य मुद्दों को संबोधित करना है।
- इस प्रारूप को 2019 में संशोधित किया गया था लेकिन तब से एनएफपी के अंतिम संस्करण के बारे में कोई खबर नहीं आई है।

इस नीति की कुछ प्रमुख विशेषताएं

- वनों के सतत् प्रबंधन के आधार पर वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लोगों की पारिस्थितिक और आजीविका सुरक्षा की रक्षा करना।
- पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्रों को उपयुक्त मिट्टी और जल संरक्षण उपायों के साथ-साथ उपयुक्त पेड़ लगाकर स्थिर किया जाएगा।
- इसने दो राष्ट्रीय स्तर के निकायों-राष्ट्रीय सामुदायिक वन प्रबंधन मिशन और राष्ट्रीय वानिकी बोर्ड की स्थापना का सुझाव दिया।
- निम्नीकृत वन क्षेत्रों में वनीकरण और पुनर्वनीकरण गतिविधियों को शुरू करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल विकसित किए जाएंगे।
- इसने सहभागी वन प्रबंधन दृष्टिकोण को मजबूत करने का भी सुझाव दिया जिसके लिए एक राष्ट्रीय सामुदायिक वन प्रबंधन मिशन शुरू किया जाएगा।

- इस नीति भारत के 33% भौगोलिक क्षेत्र को वन और वृक्ष आवरण के अंतर्गत रखने के लक्ष्य को जारी रखा और पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में, इसका उद्देश्य दो-तिहाई क्षेत्र को वन और वृक्ष आवरण के अंतर्गत बनाए रखना होगा।

4. भारतीय वन अधिनियम, 1927

- वनों, वन उपज के पारगमन और लकड़ी और अन्य वन उपज पर लगाए जाने वाले शुल्क से संबंधित कानून को मजबूत करने के उद्देश्य से भारतीय वन अधिनियम, 1878 को निरस्त करने के बाद भारतीय वन अधिनियम, 1927 को अधिनियमित किया गया था।
- यह अधिनियम केंद्रीय कानून का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और विभिन्न राज्य अधिनियमों ने अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप इसमें संशोधन किए हैं और कुछ राज्यों ने अपने स्वयं के पूर्ण-स्तरीय वन अधिनियम बनाए हैं।
- यह अधिनियम वनों के संरक्षण के लिए विभिन्न प्रावधान देता है और इस योजना में, यह राज्य सरकार को किसी भी वन भूमि या बंजर भूमि को आरक्षित वन में गठित करने का प्रावधान करता है, जो सरकार की संपत्ति है और जिस पर सरकार का मालिकाना अधिकार है।

4.1. भारतीय वन अधिनियम, 1927 के उद्देश्य

- वनों से संबंधित कानूनों को समेकित करना।
- लकड़ी और अन्य वन उपज पर शुल्क लगाना।
- आरक्षित वन के अंदर निषिद्ध वन अपराध कृत्यों और उल्लंघन पर लगाए जाने वाले दंड को परिभाषित करना।
- वनों और वन्यजीवों के संरक्षण को और अधिक जवाबदेह बनाना।
- वनों के संरक्षण के महत्व और महत्वपूर्ण आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाना।
- कृषि गतिविधियों और अन्य वन गतिविधियों के प्रभाव को संतुलित करना।

4.2. भारतीय वन अधिनियम, 1927 में वनों के प्रकार

अधिनियम वनों की तीन श्रेणियों, अर्थात् आरक्षित वन, ग्राम वन और संरक्षित वन की सुविधा प्रदान करता है।

आरक्षित वन (RF)

- यह सर्वाधिक प्रतिबंधित वन है, जो राज्य सरकार द्वारा किसी वन भूमि या बंजर भूमि पर, जो सरकार की संपत्ति है, वहा गठित किया गया है।
- यहां स्थानीय लोगों को प्रतिबंधित किया गया है, जब तक कि बंदोबस्त के दौरान किसी वन अधिकारी द्वारा विशेष रूप से अनुमति न दी गई हो।

संरक्षित वन (PF)

- राज्य सरकार को आरक्षित वनों के अलावा किसी भी भूमि को संरक्षित वन के रूप में गठित करने का अधिकार है, जिस पर सरकार के पास मालिकाना अधिकार है और ऐसे वनों के उपयोग के संबंध में नियम जारी करने की शक्ति है।

ग्राम वन (VF)

- ये वन वे हैं जिनमें राज्य सरकार 'किसी भी ग्राम समुदाय को आरक्षित वन बनाई गई किसी भी भूमि पर सरकार के अधिकार' सौंप सकती है।
- राज्य सरकार ग्राम-वनों के प्रबंधन को विनियमित करने के लिए नियम बना सकती है, जिसमें उन शर्तों को निर्धारित किया जा सकता है जिनके तहत समुदायों को ऐसा कोई कार्य सौंपा जाए जिससे उन्हें लकड़ी या अन्य वन-उपज या चारागाह प्रदान किया जा सके, और ऐसे वनों के सुरक्षा और सुधार के लिए उनके कर्तव्य भी निर्धारित किए जा सकते हैं।

4.3. भारतीय वन (संशोधन) अध्यादेश, 2017

- भारतीय वन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 23 नवंबर, 2017 को प्रख्यापित किया गया था। इसने भारतीय वन अधिनियम, 1927 में संशोधन किए है।
- भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 2(7) में संशोधन के बाद, बांस अब पेड़ नहीं है और कटे हुए बांस को भी लकड़ी नहीं माना जाएगा।
- पहले बांस को पेड़ की श्रेणी में रखा जाता था। परिणामस्वरूप, काटा हुआ या उखाड़ा हुआ बांस, चाहे वह वन में पाया गया हो या लाया गया हो, "लकड़ी" माना जाता था।
- 2017 के संशोधन ने किसानों, उद्यमियों और स्थानीय समुदायों को बांस उगाने और विभिन्न उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करके बांस की खेती और व्यावसायिक उपयोग को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान किया।
- हालाँकि, अधिनियम में अभी भी कानूनी प्रावधान हैं, जो जंगलों से बांस की अनधिकृत निकासी पर रोक लगाते हैं और वन विभागों को ऐसा करते पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या एजेंसी पर मुकदमा चलाने का अधिकार देते हैं।

भारत के बांस संसाधन

- भारत में, बांस कश्मीर क्षेत्र को छोड़कर पूरे देश में प्राकृतिक रूप से उगता है।
- भारत में बांस के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र (13.96 मिलियन हेक्टेयर) है और 136 प्रजातियों (125 स्वदेशी और 11 विदेशी) के साथ बांस विविधता के मामले में यह चीन के बाद दूसरा सबसे संपन्न देश है।

राष्ट्रीय बांस मिशन (NBM)

- राष्ट्रीय बांस मिशन को 2006 में शुरू किया गया था।
- 2018-19 के दौरान (भारतीय वन अधिनियम, 1927 में संशोधन के बाद), मिशन को बाजार, मूल्य संवर्धन, उत्पाद विकास, कौशल और अनुसंधान एवं विकास घटकों को शामिल करने के लिए पुनर्गठित किया गया है और इसे 'राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन' के तहत कार्यान्वित किया

जा रहा है।

- पुनर्गठित NBM एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच 60:40 का फंडिंग पैटर्न है, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए 90:10 पैटर्न है, और केंद्र शासित प्रदेशों / अनुसंधान एवं विकास संस्थानों / बांस प्रौद्योगिकी समर्थन समूह और राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों के मामले में यह 100% है।